I/179329/2024

संख्या– 14 /XLI-A/2023–59/23/E-45385

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर, गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक 03-जनवरी-2024 ~~दिसम्बर, 2023~~

विषयः– **Procurement of latest Technology Machinery, Equipment, etc. for the conduct of new courses in Emerging Technology हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3255/नि0प्रा0शि0/SSA/2023–24 दिनांक 12.07.2023, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/111469, दिनांक 31.03.2023 एवं शासनादेश संख्याः 534/XXVII9V0/2023 दिनांक 02.08.2023 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत **इमर्जिंग टेक्नालॉजी के नये पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु मशीन उपकरणों के क्रय** (Procurement of latest Technology Machinery, Equipment, etc. for the conduct of new courses in Emerging Technology) हेतु प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर द्वारा गठित आंगणन (रू. 26.8539288 करोड़) की शासन स्तर पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरांत एवं व्यय वित्त समिति द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी **धनराशि/संस्तुत लागत रू. 2685.40 लाख (रू. छब्बीस करोड़ पिचासी लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए** भारत सरकार द्वारा Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) 2023-24 योजनान्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू. 18.00 करोड़ के सापेक्ष रू. 12.00 करोड़ (रूपये बारह करोड़ मात्र) को व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment 2023-24 Part-1 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण के सापेक्ष अवमुक्त 2/3 प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. कार्यों हेतु स्वीकृत आंगणन में सम्मिलित की जा रही जी.एस.टी. देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
4. कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008, 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 तथा 426/XXVII(7)/2013 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. समस्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मानकों तथा I I T द्वारा निर्धारित Specificatiion/Configuration के अनुसार की जाय। सामग्री आपूर्ति के समय समस्त Items की आवश्यक Testing कराना सुनिश्चित किया जाय।
7. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
9. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
10. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
11. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय।
12. कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
13. डी.पी.आर. के अंतर्गत उपलब्ध Technical Specification के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति हेतु FOR Destination सुनिश्चित नहीं हैं, उक्त स्थिति में निविदा के अंतर्गत स्थिति स्पष्ट किया जाना होगा तथा FOR Destination के पश्चात लोकल ढुलान एवं अन्य कार्य भी सम्मिलित किया जाना होगा। तद्नुसार निविदाएं आमंत्रित की जानी होंगी।
14. डी.पी.आर. के अंतर्गत उपलब्ध उपकरणों का विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर Installation कार्य कराया जाना होगा, तब पुराने उपकरणों के अनुकूलतम उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
15. डी.पी.आर. के अंतर्गत उपकरणों के Installation एवं संचालन का कार्य सम्मिलित नहीं है। उक्त स्थिति में व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित बजट के अंतर्गत ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
16. विद्युत Items/उपकरणों की आपूर्ति, Installation एवं संचालन हेतु Indian Electricity rule का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।
17. जिन पॉलीटेक्निक संस्थानों में पूर्व से स्थापित उपकरणों के स्थान पर नए उपकरणों का अधिष्ठापन कराया जाना है, उनमें Space Utilization का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
18. समस्त पॉलिटेक्निक संस्थानों की सूची तैयार कर ली जाए तथा अत्यावश्यक एवं उपयोगी संस्थानों के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर नये उपकरणों का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए, तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा भी अभिप्रमाणित किया जाए।
19. Civil, Mechanical, Automobile, Electrical & Electronic Items/ उपकरणों की आपूर्ति और Installation हेतु आई.आई.टी. रुड़की द्वारा वैटेड स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
20. क्रय किए जाने वाले समस्त उपकरण/मशीनरी विद्युत Energy Efficient सुनिश्चित किया जाए।
21. विभागीय समिति की बैठक दिनांक 10.10.2023 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
22. समस्त मशीनरी/उपकरणों को संस्थानों में प्राथमिकता एवं आवश्यकता के अनुसार

अधिष्ठापन एवं संचालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु तकनीकी छात्रों एवं विषय के अध्यापकों को समुचित रूप से प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाएगा तथा पॉलीटेक्निक संस्थानों का क्लस्टर बनाया जाएगा एवं आसपास के स्थान जहाँ पर वर्तमान में उपकरण नहीं बदले जा सकेंगे, उनके छात्रों को भी इन संस्थानों में समय समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाएगा।

23. सामग्री का I.S. Code कोड के समानकों के अनुरूप NABL Accredited Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाए।
24. आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी.एस.आर/एस.ओ.आर. एवं नॉन शेड्यूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दिशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आंगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।
25. क्रय किए जाने वाले उपकरण टाइप टेस्टैड ही लिये जायें तथा साइट पर आवश्यक समझ टेस्ट कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
26. योजना में प्रयुक्त होने वाले निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में यथा संभव यह प्रयास किए जाएं कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अंतर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए, ताकि प्रदेश के अंतर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किए जाने वाले अनुबंध में उक्त का समस्त समावेश किया जाए तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन विभाग को अवगत कराएंगे।
27. योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost Effectiveness तथा Energy Efficient System के अनुरूप कार्यवाई का विशेष ध्यान दिया जाए।
28. आंगणन में प्राविधानित नॉन शेड्यूल मदों के क्रियान्वयन आदि प्राप्त होने वाली 2017 (यथासंशोधित)और नवीनतम सर्कुलेशन का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
29. कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण करना अवश्यमेव करा लिया जाए।
30. प्रावक्लन/डी.पी.आर. का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।
31. एन.एस.आई. मदों/बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु शासनादेश सं. 50/XVII(7)/2012 दिनांक 12.04.2012, 152/887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं शासनादेश संख्या–103/XVII(7)32/2007TC-1दिनांक 21.07.2022 तथा 1389/687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2022 दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली–2017 (यथासंशोधित) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
32. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
33. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53–वृहद्निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत अलॉटमेंट आई.डी. सं- S23120070028 (संलग्नक) के अन्तर्गत वित्त अनुभाग–1 के

I/179329/2024

कम्प्यूटर जनरेटेड सं. I/178124/2023 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के कम में निर्गत किए जा रहे हैं।

Signed by Raman Ravinath
Date: 02-01-2024 19:36:45

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 14 /XLI-A/2023–59/23/E-45385 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
3. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रीनगर, पौड़ी।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–01 एव 03, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Dinesh Kumar Punetha
Date: 03-01-2024 10:37:15
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

I/178125/2023

IFMS Uttarakhand

उत्तराखण्ड सरकार

TES-BDGT/CGS/12/2023-XLI-A-Technical Education Department

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Technical Education(4110)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23120070028
आवंटन पत्र दिनांक-26-DEC-2023

लेखा शीर्षक		
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य
	800-अन्य भवन	01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
	05-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य	Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	0	1	0	5

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	33300000	120000000	0	153300000
योग	33300000	120000000	0	153300000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.12,00,00,000 (Rupees Twelve Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Signed by C Ravi Shankar
Date: 27-12-2023 19:13:02